राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 4(10) पराविं/पीपी/जीकेएन/2014–15 जयपुर, दिनांक 29मार्च, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त, जिला परिषद्, राजस्थान।

विषयः– ग्रामीण विकास की योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित निर्माण कार्य में मशीनरी के उपयोग के बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार विकास कार्य सम्पादित कराये जाते है। विकास कार्यों के सम्पादन हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका अन्तर्गत विस्तृत निर्देश/प्रकिया वर्णित है। विभिन्न निर्माण कार्यों में से पक्के निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु यथा पथरीले क्षेत्रों में नींव खुदाई, पूर्व निर्मित पक्के निर्माण कार्य, गन्दे नालों/दलदली क्षेत्र आदि गतिविधि हेतु आवश्यक मशीनरी के उपयोग योजना के दिशा–निर्देशानुसार अनुमत होने पर उपयोग में लिये जाने की पूर्व में ही अनुमत है।

उक्त सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुमत होने की दशा में कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता अनुसार आवश्यक मशीनरी का उपयोग कर कार्य सम्पादन कराया जा सकता है।

(संजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
5. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास।
7. अधिक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
8. अधिक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग (प्रो0), पंचायती राज।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (एसएपी/मो. एवं मू.),ग्रामीण विकास।
10. जिला कलेक्टर, समस्त।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)